(118)

सक्षम न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील 4088 II/13

द्वितीय अपील क्र............../2013

अपीलार्थी . . श्रीमति गीताबाई पत्नि उमाशंकर श्रीवास्तव, आयु– 73 वर्ष, निवासी– ग्राम– बुढ़रई, तह. मंझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी . म.प्र.शासन

श्री समीर व्यौहार अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता 2652
11 OCT 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भा.रा.संहिता 1959

289

यह अपील अति. कमिश्नर जबलपुर द्वारा पारित प्रकरण क्र. 419/ बी–121/ 09–10, का पारित आदेश दिनांक 08.08.2013 एवं कलेक्टर जबलपुर, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र.188, बी 121/08–09 पक्षकार गीताबाई विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 29.01.10 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर यह अपील समयावधि के अंदर पेश है।

11-11-13

अपील के तथ्य

1. यह कि, ग्राम बुढ़रई, तह. मझौली, जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 51, 57, 63, 64, 151, 160, 167 एवं 180 रकवा क्रमशः 5–120, 0–920, 0–570, 0–890, 0–220, 0–210, 0–550, 0–260, 0–070, 0–020 कुल रकवा 9.830 हे. भूमि है जिसका नया ख.नं. 67, 118, 127, 131, 148, 150, 165, 181, 143, 244 एवं 191/2 है। यह उक्त भूमि भूमिस्वामी के हक में श्री रामजानकी मंदिर के नाम में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। यह मंदिर अपीलार्थी के पिता भैयालाल ने ही उक्त भूमि पंजीयत दानपत्र दिनांक 08.01.1935 में उक्त भगवान श्रीराम जानकी मंदिर के नाम पर दिया था तथा स्व. भैयालाल सरवराहकार थे उनकी मृत्यु उपरांत अपीलार्थी सरवराहकार चली आ रही है। राजस्व अभिलेखों में भी श्री रामजानकी मंदिर सरवराहकार अपी. गीताबाई जोजे. स्व. उमाशंकर श्रीवास्तव का नाम दर्ज है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 4068–दो/13 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-4-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 419/बी–121/09–10 में पारित आदेश दिनांक 8–8–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बुढरई तह. मझौली के खसरा नं. 67, 118, 127, 131, 148, 150, 165, 181, 143, 144 एवं 191/2 की कुल रकबा 9.830 हैक्टर भूमि श्री रामजानकी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।यह मंदिर अपीलार्थी के पिता ने बनवाया था तथा उक्त भूमि पंजीकृत दानपत्र दिकनांक 8–1–35 से मंदिर को दी थी । भैयालाल फौत सवराहकार थे । उनकी मृत्यु उपरांत अपीलार्थी सर्वराहकार है । उक्त मंदिरएवं भूमि अपीलार्थी की निजी भूमि है पब्लिक ट्रस्ट की नहीं है,	

A 4068-4/13

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	फिर भी राजस्व अभिलेखों में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज कर दिया गया है । अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं है । आवेदन में कलेक्टर जबलपुर का नाम राजस्व अभिलेख से हटाने का अनुरोध किया गया । कलेक्टर ने आकदेश दिनांक 29-1-10 द्वारा उक्त आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये हैं । 4/ अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कलेक्टर, जबलपुर का नाम प्रबंधक के रूप में मंदिर एवं भूमि पर आदेश दिनांक 14-5-74 द्वारा दज किया गया है । इस दिनांक को सर्वराहकार	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4068-दो/13 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शिवनारायण थे । शिवनारायण ने सर्वराहकार नियुक्ति पत्र दिनांक 20-5-76 द्वारा अपीलार्थी को सर्वराहकार नियुक्त किया है, जिसके अपील अपीलार्थी को मंदिर एवं उसकी जायदाद बेचने का अधिकार नहीं है । उन्होंने यह माना है कि कलेक्टर का नाम दर्ज करने के पूर्व शिवनारायण को नहीं सुना गया जबकि सुना जाना आवश्यक था इसलिए इस प्रकरण में आपत्ति शिवनारायण द्वारा ही ली जा सकती थी । शिवनारायण जीवित है या नहीं इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण उन्होंने अपील को निरस्त किया है साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी/शिवनारायण (यदि जीवित हैं) परिसीमा के प्रश्न पर नये सिरे से अधीनस्थ न्यायालयक में आवेदन करने तथा विलंब क्षमा किए जाने की स्थिति में/परिसीमा का प्रश्न निराकृत होने के उपरांत वादग्रस्त मंदिर/भूमि पर दर्ज प्रविष्टि को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे । अपर	

नि/. 4068-I/18

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त के इस आदेश में कोई ऐसी विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	